(251)

(360)

न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

राजस्व निग0क्र0

10रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फ़ी COURT FEE Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES

रामनाथ बढई तनय स्वर्गीय श्री मोहनलाल बढ़ई उम्र 56 वर्ष, पेशी खेती निवासी ग्राम कनौजा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्ता

बनाम

R-2396-II/12

1. श्रीमती ममता शुक्ला पत्नी श्री सुरेश शुक्ला निवासी ग्राम कनौजा तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0 जरिये कलेक्टर रीवा जिला रीवा म0प्र0

गैर निगरानी कर्ता

अधिवक्ता श्री सूर्यनारायण शुक्ला द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि. 12.6.2012

12.6.12

25.7.12

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त गोविन्दगढ़ तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 29ए 14/08/09 निर्णय दिनांक 13.3.2012

रा0निग0अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:–

1. यहकि **अधिनस्थ** न्यायालय का निर्णय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने वरिष्ठ न्यायालयो के निर्णय व डिक्री का अनदेखा कर मात्र राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा दिये गये गलत प्रतिवेदन के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है एवं वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशो की अवमानना कर जो निर्णय पारित किया गया है
यह विधि के सिद्धान्तो के विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

रामनाथ बढ़ई

न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

(252)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2396–II / 2012 जिला–रीवा

रामनाथ नाई / ममता शुक्ला

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 29 / अ–14 / 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	